कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

पंचम तल, राजीव गाँधी बहुउद्देशीय काम्प्लैक्स, डिस्पेन्सरी रोड़, देहरादून–248001

टेलीफोन– 0135–2652216 फैक्स :– 0135– 2652234

पत्रांकः–1482/नग्रानि/तकनीकी विविध/2021 दिनांकः–03 सितम्बर, 2021

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

विषय– **Transit Oriented Development (TOD) Policy एवं Transferable Development Rights (TDR) Policy के संबंध में विचार–विमर्श/समीक्षा किये जाने के संबंध में सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक– 13.08.2021 को आहूत समीक्षा बैठक के संबंध में।**

महोदय,

Transit Oriented Development (TOD) Policy एवं Transferable Development Rights (TDR) Policy के संबंध में विचार–विमर्श/समीक्ष किये जाने के संबंध में सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक– 13.08.2021 को आहूत समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सचिव, आवास द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि Transit Oriented Development (TOD) Policy एवं Transferable Development Rights (TDR) Policy दस्तावेजों पर विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त किये जाए तथा सुझाव प्राप्त किये जाने के लिये प्रश्नगत पॉलिसियों के दस्तावेजों को यू0के0 पब्लिक कन्सल्टेशन पोर्टल, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एवं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देहरादून की बेवसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त स्टेक होल्डर्स के अभिमत को सम्मिलित करते हुए Transit Oriented Development (TOD) Policy एवं Transferable Development Rights (TDR) Policy को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः उपरोक्त के कम में TOD एवं TDR पॉलिसी के PDF Copy CD में प्रस्तुत की जा रही है। कृपया दिनांक 10 सितम्बर, 2021 तक अपनी वेबसाईट पर उक्त अभिलेख Upload करवाने का कष्ट करें। साथ ही आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु अपना E-Mail ID भी उक्त के साथ वर्णित करना सुनिश्चित करें। आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि समय देते हुए दिनांक– 10 अक्टूबर, 2021 तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर लिए जाए एवं तदोपरान्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिए जाए।

भवदीय,

(एस0एम0 श्रीवास्तव)
वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

<u>पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार –</u>

1– निजी सचिव–सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव–सचिव (प्रभारी),आवास, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा को इस आशय से प्रस्तुत कि उक्त अभिलेख उडा की वेबसाईट एवं यू0के0 पब्लिक कन्सल्टेशन पोर्टल पर उपरोक्तानुसार अपलोड करवाने का कष्ट करें।
4– सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रस्तुत कि प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपरोक्तानुसार अपलोड करवाने का कष्ट करें।
5– सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रस्तुत कि प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपरोक्तानुसार अपलोड करवाने का कष्ट करें।
6– सहायक अभियन्ता, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रस्तुत कि प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपरोक्तानुसार अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(एस0एम0 श्रीवास्तव)
वरिष्ठ नियोजक/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

Uhuda2021..P